

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 81

लोक सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	666.57	...	666.57	786.51	35.49	822.00	757.46	31.19	788.65	782.77	79.23	862.00
वसूलियां	-0.04	...	-0.04
प्राप्तियां
निवल	666.53	...	666.53	786.51	35.49	822.00	757.46	31.19	788.65	782.77	79.23	862.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	0.93	...	0.93	1.10	...	1.10	0.63	...	0.63	1.56	...	1.56
2. सदस्य	232.51	...	232.51	298.60	...	298.60	274.75	...	274.75	293.57	...	293.57
3. सचिवालय	430.72	...	430.72	483.82	35.49	519.31	478.90	31.19	510.09	484.43	79.23	563.66
4. सचिवालय (चीफ व्हीप)	0.31	...	0.31	0.32	...	0.32	0.34	...	0.34	0.34	...	0.34
5. अन्य व्यय	2.10	...	2.10	2.67	...	2.67	2.84	...	2.84	2.87	...	2.87
6. वास्तविक वसूलियां	-0.04	...	-0.04
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	666.53	...	666.53	786.51	35.49	822.00	757.46	31.19	788.65	782.77	79.23	862.00
कुल जोड़	666.53	...	666.53	786.51	35.49	822.00	757.46	31.19	788.65	782.77	79.23	862.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	666.53	...	666.53	786.51	...	786.51	757.46	...	757.46	782.77	...	782.77
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	35.49	35.49	...	31.19	31.19	...	79.23	79.23
जोड़-सामान्य सेवाएं	666.53	...	666.53	786.51	35.49	822.00	757.46	31.19	788.65	782.77	79.23	862.00
कुल जोड़	666.53	...	666.53	786.51	35.49	822.00	757.46	31.19	788.65	782.77	79.23	862.00

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय प्रावधान, अन्य सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं पर होने वाले व्यय शामिल हैं।

3. **सचिवालय:** यह प्रावधान स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद टीवी से संबंधित सहायता अनुदान और व्यय के लिए है।
4. **सचिवालय (चीफ व्हीप):** यह प्रावधान मुख्य सचेतकों के सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों के लिए है।
5. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान और माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन अनुदान के लिए है।